रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2017, शनिवार/अग्रहायण 26—पौष 2, 1939
No. 42] NEW DELHI, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2017, SATURDAY/AGRAHAYANA 26— PAUSA 2, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 100.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (लेखा सहायक) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन में लेखा सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) और लेखा सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (लेखा सहायक), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

New Delhi, the 6th November, 2017

S.R.O. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, the Defence Services Staff College, Wellington, Joint Director (Coordination) (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, the Defence Services Staff College, Wellington, Joint Director(Coordination) (Group 'A' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, the Defence Services Staff College, Wellington, Joint Director (Coordination) (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2016 ,-

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** —The number of said post, its classification and the Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules." ;

(b) in the schedule ,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

"Level in pay matrix
(4)
Level 11 (Rs. 67700-208700)" ;

(ii) In column (11), -

(A) for the words, figures and letters " the pay band -3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400", "the pay band -2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800", "the pay band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600", the words, figures, brackets and letters "level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix", "level 8(Rs.47600-151100) in the pay matrix" and "level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix" shall respectively be substituted;

(B) in note 1, for the words, figures and letters "the pay band -2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600", the words, figures brackets and letters "level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix." shall be substituted ;

(C) Note 2 shall be omitted.

[F. No. 15723/RRs-JD(Coord)/7th CPC Amendments/IDS/PERS/517/RR/D(Appts)/2017]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O. 44 dated the 1st September, 2016.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

का.नि.आ. 102.—भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 4, तारीख 8 फरवरी, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, का.नि.आ. सं. 11, तारीख 20 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना में पृष्ठ 47 पर पंक्ति 6 में, "2013" के स्थान पर "2014" पढ़ें।

[फा. सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/आरआर/सी/पी/13/2107/डी(आरएंडडी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण: रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग–II, खंड 4 में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसंबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् का.नि.आ.307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ.196, तारीख

2 अगस्त, 1982, का.नि.आ.159, तारीख 6 मई, 1983, का.नि.आ.176, तारीख 7 अगस्त, 1984, का.नि.आ.228, तारीख 13 नवंबर, 1984, का.नि.आ.170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ.186, तारीख 2 अगस्त, 1985, का.नि.आ.228, तारीख 6 जून, 1986, का.नि.आ.158, तारीख 4 मई, 1987, का.नि.आ.328, तारीख 25 सितंबर, 1987, का.नि.आ.11-(अ), तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ.1, तारीख 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ.33, तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ.74, तारीख 5 मार्च, 1991, का.नि.आ.146, तारीख 4 जुलाई, 1991, का.नि.आ.74, तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ.125, तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ.157, तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ.34, तारीख 8 मार्च, 1996, का.नि.आ.33, तारीख 2 फरवरी, 1998, का.नि.आ.100, तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ.119, तारीख 09 जुलाई, 1999, का.नि.आ.51, तारीख 27 मार्च, 2003, का.नि.आ.179, तारीख 13 नवंबर, 2003, का.नि.आ.35, 03 फरवरी, 2006, का.नि.आ.52, तारीख 22 सितंबर, 2007, का.नि.आ.62, तारीख 29 जून, 2008, का.नि.आ.83, तारीख 5 अक्तूबर, 2008, का.नि.आ.36, तारीख 9 मई, 2011, का.नि.आ. 21, तारीख 23 मार्च, 2012, का.नि.आ.11, तारीख 20 दिसंबर 2013, का.नि.आ.33, तारीख 22 अप्रैल, 2014, तथा का.नि.आ. 53, तारीख 5 दिसम्बर, 2016 द्वारा संशोधन किया गया ।

(DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th November, 2017

S.R.O. 102.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development number S.R.O. 11, dated the 20th December, 2013, Published in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 8th February, 2014, at Page 48, in line 7, for "2013" read "2014".

[F. No. DHRD/76205/DRDS/RRs/C/P/13/2107/D(R&D)/2017]
HARSHA RANI, Under Secy.

Note : The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part-II, Section 4, vide numbers S.R.O. 8, dated the 30th December, 1978, and subsequently amended vide S.R.O. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated 2nd August, 1985, S.R.O. 228, dated 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th Sep. 1987, S.R.O. 11-E, dated the 10th August 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 09th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March 2003, S.R.O. 179, dated the 13th November, 2003, S.R.O. 35, of the 03rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September, 2007, S.R.O. 62, dated the 29th June, 2008 , S.R.O. 83, dated the 5th October, 2008, S.R.O. 36, dated the 9th May, 2011, S.R.O. 21, dated the 23rd March, 2012, S.R.O. 11, dated the 20 Dec., 2013, S.R.O. 33, dated the 22nd April, 2014 and S. R.O. 53, dated 5th December, 2016.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2017

का.नि.आ. 103.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में, भंडार सहायक 'क' के पद से संबंधित क्र. सं. 2 के सामने,-